<u>न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> (समक्षः डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 868 / 14

संस्थित दि. : 22 / 09 / 14

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,	
जिला बालाघाट (म.प्र.)	अभियोगी

विरूद्ध

- विनोद पिता अजवलाल गढ़ेवाल, उम्र 44 साल, जाति महार, साकिन पोण्डी, थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 2. कन्हैयालाल पिता साधुराम उम्र 35 साल, जाति पनिका, साकिन पोण्डी, थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 3. देवानन्द पिता ताराचंद वासनिक, उम्र 35 साल, जाति महार, साकिन पोण्डी, थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.) आरोपीगण

–::<u>निर्णय</u>::–

(आज दिनांक 22/09/2014 को घोषित किया गया)

- (01) आरोपीगण पर सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 का आरोप है कि आरोपीगण दिनांक 12.09.2014 को समय 03:00 बजे स्थान देवानन्द के मकान की छपरी ग्राम पोण्डी थाना परसवाड़ा के अन्तर्गत ताश—पत्तों से रूपये—पैसों का दाव लगाकर जुआ खेलते हुए पाए गए।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में पदस्थ उपनिरीक्षक सुखदेव सिंह धुर्वे दिनांक 12.09.2014 को कस्बा भ्रमण के लिये ग्राम पोण्डी रबाना हुआ था तो उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जुआ खेल रहे है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराह स्टाप एवं समक्ष गवाहों मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर घेराबन्दी किया तो आरोपीगण 52 ताश के पत्तों से जुआ खेलते हुए पाये गये। आरोपीगण से 52 ताश के पत्ते एवं नगदी 340/— रूपये जप्त कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 134/14 अन्तर्गत

सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरूद्ध सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 के तहत यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

- (03) आरोपीगण को मेरे द्वारा सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया।
- (04) आरोपीगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-
 - (अ) क्या आरोपीगण दिनांक 12.09.2014 को समय 03:00 बजे स्थान देवानन्द के मकान की छपरी ग्राम पोण्डी थाना परसवाड़ा के अन्तर्गत ताश—पत्तों से रूपये—पैसों का दाव लगाकर जुआ खेलते हुए पाए गए ?

—::<u>सकारण निष्कर्ष</u>::—

- (05) आरोपीगण को सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 के अपराध क मुख्य विशिष्टियां पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध स्वेच्छयापूर्वक करना स्वीकार किया।
- (06) आरोपीगण द्वारा जुआ अधिनियम की धारा 13 का अपराध स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपीगण को सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध टहराया जाता है।
- (07) आरोपीगण के विरूद्ध अभियोजन द्वारा पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। अतः आरोपीगण का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। आरोपीगण द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति करने के फलस्वरूप आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।
- (08) आरोपी विनोद, देवानन्द्र, कन्हैयालाल को सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 13 के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए क्रमशः 100, 100, 100/— रूपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है।

- (09) आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरेपीगण को एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।
- (10) प्रकरण में आरोपीगण से जप्त 52 ताश के पत्ते मूल्यहीन होने से नष्ट किये जावे एवं नगदी जप्तुशदा 340/— रूपये राजसात किये जाये। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

ALIMAN AREA AREA STATE AND AREA STAT

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)